समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः–1819 / 71–2–17–4 / 2017

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 26 मई, 2017

विषयः नीट पी0जी0, 2017 की काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–769 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 10.03.2017, शासनादेश संख्या–905 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 27.03.2017, शासनादेश संख्या–1023 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 31.03.2017 तथा शासनादेश संख्या–1685 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 20.05.2017 एवं शासनादेश संख्या–1709 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 23.05.2017 द्वारा नीट पी0जी0 2017 की काउंसिलिंग / प्रवेश के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है।

2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एम.ई.–3 / 2017 / 319, दिनांक 26 मई, 2017 में किये गये प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या–1709 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 23.05.2017 में प्रस्तर–2 की तालिका में उल्लिखित निजी क्षेत्र हेतु माप–अप राउण्ड के लिए समय–सारिणी के बिन्दु–2 के विवरण सम्बन्धी कॉलम में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :–

| शासनादेश संख्या–1709 / 71–2–2017–4 / 2017, दिनांक 23.05.2017 में उल्लिखित व्यवस्था | यथा संशोधित व्यवस्था |
|---|---|
| प्रस्तर–2 में निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु माप–अप राउण्ड हेतु बिन्दु–2 में उल्लिखित व्यवस्था– "माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित न हुई हो। (प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन–प्राप्त प्रवेशित / अप्रवेशित / त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।)" | माप–अप राउण्ड हेतु वे अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे जिन्होंने निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं / अल्पसख्यंक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लिया हो। |
| प्रस्तर–2 में निजी क्षेत्र हेतु माप–अप राउण्ड के लिए समय–सारिणी के बिन्दु–3 के विवरण में उल्लिखित व्यवस्था–"इसी प्रकार निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों / | निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थी, जो पूर्व में एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर पंजीकरण नहीं करा सके हैं |

| | |
|---|---|
| अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के समस्त नीट क्वालीफाईड अभ्यर्थी अर्ह होंगे।" | तथा जो भारत सरकार द्वारा NEET PG (Medical/Dental) 2017, Percentile को डाउनग्रेड किये जाने से अर्हता के क्षेत्र में आ गये हैं, के द्वारा एन0आई0सी0 की वेबसाईट https:// upneet.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कराया जा सकता है। उक्त पंजीकरण हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के समस्त नीट क्वालीफाईड अभ्यर्थी अर्ह होंगे।<br>Percentile को डाउनग्रेड किये जाने से अर्हता के क्षेत्र में आ रहे अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 26.05.2017 की मध्य रात्रि 12.01 AM से दिनांक 27.05.2017 की रात्रि 11.59 PM तक आनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है।<br>उक्त पंजीकरण हेतु रू0 1000/- ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा किया जायेगा। |

3- शासनादेश संख्या-1709/71-2-2017-4/2017, दिनांक 23.05.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें व प्रतिबन्ध रहेंगे।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( नीलेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

संख्या- (1)/71-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति/कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सचिव, मेडिकल काउसिल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/ अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।